न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—403 सन् 2016

माराछो देवी वो अन्य.....वादीगण

बनाम

राम ललीत राय वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 28.06.2022

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 20.01.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि टंकक की गलती से कुछ बातें टंकित करना छूट गया है जो इस वाद अर्जीदावी में दिए गए कुर्सीनामा में बद्री राय के चार पुत्र दर्शाया गया है और उसी के अनुसार प्रतिवादी सं0 01 राम ललीत राय प्रतिवादी सं0 02 शिव नारायण राय प्रतिवादी सं0 03 सत्य नारायण राय पक्षकार बनाये गए हैं। परंतु चौथे पुत्र शंभू राय का नाम छुट गया है इसलिए इसी आलोक में इस आवेदन पत्र के अंत में दिए गए प्रस्तावित संशोधन की आवश्यकता है। प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। उक्त संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी इस वाद में वादी की गवाही नहीं हुए हुई है। वादी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गई है। वादी का वर्तमान आवेदन स्वीकृत नहीं होने से उसे अपूर्णिय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के

अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से अर्जीदावी में संशोधन हेतु लाया है जो सामान्य प्रकृति का है। अर्जीदावी में संशोधन होने से वादी की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।